न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या 7 / 2023 (राजसमन्द डिक्री)

1. प्रवीणनाथ पुत्र श्री मोहननाथ, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. विमलेशनाथ पुत्र श्री मोहननाथ, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सुश्री पूजा पुत्री श्री मोहननाथ, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती शान्ता पत्नि श्री मोहननाथ, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नरेन्द्रनाथ पुत्र श्री बाली रावल, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, हाल निवासी शास्त्री नगर, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. महेन्द्रनाथ पुत्र श्री बाली रावल, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

2. प्रकरण संख्या 8 / 2023 (राजसमन्द डिक्री)

1. प्रवीणनाथ पुत्र श्री मोहननाथ, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. विमलेशनाथ पुत्र श्री मोहननाथ, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सुश्री पूजा पुत्री श्री मोहननाथ, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती शान्ता पत्नि श्री मोहननाथ, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. नरेन्द्रनाथ पुत्र श्री बाली रावल, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, हाल निवासी शास्त्री नगर, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. महेन्द्रनाथ पुत्र श्री बाली रावल, जाति नाथ, निवासी कोटड़ा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राज.का..अधि.
1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ प्रा.डिक्री दि॰29.07.2021 व अंतिम
डिक्री दि॰ 20.10.2022 प्र.सं. 9/2019

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1. श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 3

———::———

निर्णय दिनांक 23—11—2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोटडा में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी नंबर 42, 45, 137 से 143, 157, 166 से 174, 179, 225 कुल किता 21 रकबा 82 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 3/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 3/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा है। उक्त आराजियात शामलाती दर्ज होने से सीमा संबंधी विवाद होता है एवं भूमि के ऋण आदि में असुविधा होती है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर खाते अलग—अलग दर्ज किये जावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29—07—2021 से वादी का वाद स्वीकार प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 20—10—2022 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29—07—2021 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 7/2023 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20—10—2022 के विरूद्ध अपील संख्या 8/2023 इस न्यायालय में दिनांक 03—02—2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 9/2019 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जा रहा हैं। निर्णय की एक—एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलान्ट ने दोनों ही अपीलों के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। दिनांक 12–12–2022 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा नकलें प्राप्त कर दोनों अपीलें अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी हैं। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपीलें अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण पर कोई विधिवत व सम्यक तामिल नहीं हुई थी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने तामिल कुनिन्दा से मिली भगत कर गलत रिपोर्ट करा अपीलान्टगण की अदम तामिल की रिपोर्ट करवा दी। अधिनस्थ न्यायालय ने भी आदेश 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना किये बिना अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिये। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, बंटवारा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये तथा बंटवारा राजस्थान टीनेन्सी रूल्स अनुसार नहीं किया गया है। जो खातेदार जिस भूमि पर काबिज था उसे उसके खाते रखना था, लेकिन नियम 20 की अवहेलना करते हुए मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29–07–2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20–10–2022 निरस्त किये जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29–07–2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20–10–2022 को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्टगण की यह आपत्ति की उन्हें विधिवत सम्यक तामिल नहीं करवायी गयी है, जबकि अपीलान्टगण की विधिवत प्रातःकाल अखबार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested

जरिये तामिल करवायी गयी है, इसलिए उनकी यह आपत्ति की उन्हें विधिवत सम्यक तामिल नहीं करवायी गयी है, उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट का अन्य आपत्ति की बंटवारा राजस्थान टीनेन्सी रूल्स अनुसार स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है। अपीलान्ट की यह आपत्ति भी उचित प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि बंटवारा प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार तहसीलदार द्वारा ही किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपर्युक्त विवेचन अनुसार दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29–07–2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20–10–2022 यथावत रखी जाती हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 23–11–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

प्रवीणनाथ पिता मोहननाथ, जाति नाथ, निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य	बनाम	नरेन्द्रनाथ पिता श्री वाली रावल, जाति नाथ, निवासी कोटडा हाल निवासी शास्त्रीनगर, देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं......7/2023........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........देवगढ़......... मुकाम................मुवर्खे.........29............माह...............07..............2021.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........23..........माह.............11.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी........श्री रामलाल मेघवाल........मिनजानिब अपीलान्ट व............श्री मनीष शर्मा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 29–07–2021 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये .... X.......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............23............माह............11..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

प्रवीणनाथ पिता मोहननाथ, जाति नाथ, निवासी कोटडा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य	बनाम	नरेन्द्रनाथ पिता श्री वाली रावल, जाति नाथ, निवासी कोटडा हाल निवासी शास्त्रीनगर, देवगढ़, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं......8/2023........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........देवगढ़......... मुकाम................मुवर्खे.........20............माह...............10..............2021.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........23..........माह.............11.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी........श्री रामलाल मेघवाल........मिनजानिब अपीलान्ट व............श्री मनीष शर्मा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20-10-2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये .... X.......... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............23............माह............11..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:03 IST
Reason: SelfAttested